राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांकःएफ 1(2)(1)आ.प्र.एवं सआ/ओलावृष्टि/08/2394-435 जयपुर,दिनांक 24-2-09

वास्ते,

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः—ओलावृष्टि से प्रभावित परिवारों को दिये जाने वाला राहत पैकेज।

राज्य सरकार ने इस वर्ष राज्य में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत पहुचाने हेतु राहत पैकेज घोषित किया है जो निम्न प्रकार है:—

1. जिन लघु, सीमान्त एवं अन्य कृषकों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति हुई है, उनको दो हेक्टेयर तक निम्न प्रकार कृषि आदान अनुदान दिया जायेगा:—
   - असिंचित क्षेत्र हेतु 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर।
   - सिंचित क्षेत्र हेतु
     ए—बिजली के कुओं व नहर से
     सिंचित क्षेत्र हेतु 4000 रूपये प्रति हेक्टेयर
     बी—डीजल पम्प सैट से सिंचित क्षेत्र हेतु 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर।

2. जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उनके बिजली के 4 माह के बिल माफ किये जायेगे।
3. राहत पैकेज में घोषित सहायता जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिन्होने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है, ऐसे किसान जिन्होने खेती ठेके पर की है वह बोई गई भूमि के खातेदार से 5 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।
4. ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जावेगा
5. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतन्त्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतन्त्र रूप से धारित भूमि के कुल रकबा आदि सीमान्त तथा लघु कृषक के लिए धारित रकबा के अनुसार हो तो उसे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।
6. ओलावृष्टि से प्रभावित वह गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों को अभावग्रस्त घोषित किया जावेगा तथा भू—राजस्व स्थगित किया जावेगा। सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर रिफजिग की जायेगी।

ओलावृष्टि से मृतक, घायल, क्षतिग्रस्त मकान एवं पशुओं के लिए भारत सरकार के पत्र दिनांक 27.6.07 में अंकित नोर्म्स एवं इस विभाग के पत्रांक 16375—425 दिनांक 25.7.07 में अंकित उपयुक्त प्राधिकारी के सत्यापन के अनुसार सहायता उपलब्ध करायी जाए।

24/2/09
शासन सचिव